



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

संदर्भ सं.: 11201D-2/अनश्वल-2019

दिनांक: 08-11-2019

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
अमरोहा।

विषय—मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित स्टेल आउटलेट संख्या—2958/1, 2, ग्राम—अमरोहा, तहसील व जिला—अमरोहा की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं०—1812/आबकारी सहायक/2019 दिनांक—11 अक्टूबर, 2019, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 16.10.2019 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार रिटेल आउटलेट का स्थल संख्या—2958/1, 2, ग्राम—अमरोहा, तहसील व जिला—अमरोहा में स्थित है। रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में एम०एस० (पेट्रोल) 1×15 कि०ली० एवं एच०एस०डी० (डीजल) 1×20 कि०ली० टैंकों की स्थापना एवं भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है। रिटेल आउटलेट के प्रस्तावित स्थल (अक्षांश 28°54'23.45"N एवं देशांशन्तर 78°27'42.21"E) से पूरब दिशा में वफक का कब्रिस्तान, पश्चिम दिशा में बिजनौर—अमरोहा रोड, उत्तर दिशा में खाली प्लाट तत्पश्चात् श्री राईस की दुकान एवं दक्षिण दिशा में श्री जाकिर अली का प्लाट स्थित है।

अतः उक्त इकाई को प्रस्तावित स्थल पर एम०एस० (पेट्रोल) 1×15 कि०ली० एवं एच०एस०डी० (डीजल) 1×20 कि०ली० टैंकों की स्थापना एवं भण्डारण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है।

शर्त:-

- इकाई द्वारा पेट्रोलियम टैंकों का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथासंभव दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
- इकाई द्वारा पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम—1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम—1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।
- इकाई का स्थल आबादी क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रस्तावित स्थल डी०जी०सेट की स्थापना किया जाना अनुमन्य नहीं है।
- इकाई द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण/स्थापना एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की मार्गदर्शिका के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- आकर्षिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- इकाई द्वारा डीजल/पेट्रोल के वाष्पन के नियन्त्रण हेतु वेपर रिकवरी सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित की जाए।
- इकाई द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग व्यवसायिक प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत किया जाये।

(रमेश चन्द्र)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वन, एवं वन्यजीव प्रभाग  
अमरोहा

19-8-20 भवदीय  
कमार अविनाश  
आदेशक प्रबन्धक (रिटेल)  
भारत पेट्रोलियम नियन्त्रण लिमिटेड  
(ज०पी०माय०)  
आब का संपर्क संख्या (३००)  
मेरठ-२४६७०१ (३००)  
अधिकारी